**पत्र सूचना शाखा**

**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0**

## उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 जारी

लखनऊः 18 जनवरी, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 पर राज्य सराकर द्वारा राष्ट्रपति से अनुमति मांगी गई थी। गत दिसम्बर में राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाने पर राज्य सरकार ने यह अध्यादेश राज्यपाल को भेजा था।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 में संशोधन करने के लिए वर्तमान अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम में कुछ ऐसे अपराध भी सम्मिलित कर लिये गये हैं जिनके करने वालों पर सामान्य अपराध की धाराओं के अलावा गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 में 15 श्रेणी के अपराध सम्मिलित थे। नये शामिल किये गये अपराधों में साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध, गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति कूररता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता, वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुव्र्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुव्र्यापार करना, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध, जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना, नकली दवाओं के उत्पादन, विक्रय और वितरण में अन्तग्र्रस्त होना, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला-बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्तग्र्रस्त होना, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिए गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना, आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना जैसे अपराध शामिल हैं।

---